

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग केन्द्रों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटराईजेशन एवं सुदृढीकरण हेतु रू0 49,64,700.00 (उनचास लाख चौसठ हजार सात सौ) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 1414 दिनांक 12.03.2019 को निरस्त करते हुये वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग केन्द्रों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटराईजेशन एवं सुदृढीकरण हेतु रू0 49,64,700.00 (उनचास लाख चौसठ हजार सात सौ) की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान करने की कृपा की गयी है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण, कम्प्यूटराईजेशन एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता है, ताकि जिला उद्योग केन्द्र विकसित क्षमता के साथ कार्य कर सके। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि बजट मुख्य शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष-0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852801020163 अन्तर्गत विषय शीर्ष 1301 कार्यालय व्यय मद से रू0 49,22,100.00 (उनचास लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र एवं विषय शीर्ष 2701 लघु कार्य मद से रू0 42,600.00 (बयालीस हजार छः सौ) मात्र उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।
4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एक मुश्त राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0 एल0 खाता नं0-277 में उपलब्ध करायेगें।
5. इस स्कीम के मुख्य नियंत्री, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगें। स्कीम से संबंधित व्यय विवरणी मूल प्रमाणक प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे।
6. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0 (2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 एवं पत्रांक 2938 वि0 (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जाएगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति संचिका संख्या-6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)-24/2019 (पृ0 4/टि0) पर दिनांक-26.02.19 को प्राप्त है।
7. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)-24/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)-24/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)-24/2019-

1479

/पटना, दिनांक-15.03.19

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/अपर सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0-प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्रशाखा-पदाधिकारी-6(स0), उद्योग विभाग को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.19

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग